ऐतिहासिक सांभर झील को खोए अस्तित्व की तलाश

- निवाई में मिसाल बनी अनोखी शादी
- समारोह में दहेज रहित पहल की भरपूर सराहना की और युवाओं के लिए एक प्रेरक संदेश बताया

सांभरझील, (निर्स)। सांभर (शाकम्भर) का रियासत काल का सदियों पुराना इतिहास और अंठोजों के काल में स्थापित लवणीय झील में नमक उत्पादन के लिए तैयार किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर उनके कुशल प्रबंधन का जीवंत प्रमाण है, लेकिन आजादी के बाद ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी पर 1952 के बाद से किसी भी सरकारों ने पूरी तरह फोकस नहीं किया, नतीजा यह हुआ की सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतों का अब कोई धणीधोरी नहीं है, मजबूत इतिहास अब धीरे-धीरे ढहता जा रहा है। या यूं कहें कि पर्याप्त मॉनिटरिंग के अभाव में पुरानी विरासतें नष्ट होती जा रही है अथवा करीब करीब नष्ट होने के कगार पर है। आजादी के 70 साल गुजरने के बाद भी राजस्थान के सबसे पुराने उपखंड में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहां की कमजोर सोच को दर्शित करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस उपखंड को मजबूत प्रशासनिक कड़ी जोड़ने के लिए एडीएम की खास जरूरत कई सालों पहले पूरी हो जानी चाहिए थी केवल मात्र नेगेटिव सोच रखने वाले राजनीति से जुड़े लोगों की नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सफाई व्यवस्था आज भी पूरी तरह से माकूल नहीं है। पर्यटन नगरी का दर्जा मिलने के बाद भी इसके वास्तविक स्वरूप को निखारने में असफलता हाथ लगना सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। विगत करीब 11 साल में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हालत बदतर है। देवयानी तीर्थ स्थल पर करोड़ों खर्च किए जाने के बावजूद पुराने हालत में लौट गया है। सिस्टम पर अंकुश के बजाय सिस्टम के साथ खड़े होने वाले स्वार्थी तत्वों के कारण स्थिति डगमगा गई। कई पुरानी इमारतें मेंटीनेंस के लिए पुकार रही है। पुराना उप कारागृह, एडीजे, एसीजेएम, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, प्राचीन दरवाजा, एक मंजिला रिकॉर्ड रूम, पुराना उपखंड कार्यालय वे प्राचीन इमारते हैं जो अपने इतिहास के खोए अस्तित्व को बचाने के लिए पुकार रही है, अब संपूर्ण तरीके से वीरान है, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जो कि रियासत काल के समय से निर्मित थी, जिनके रखरखाव, मेंटेनेंस व उपयोग में लेने की दरकार है। पुरानी इमारतों का आज यूं वीरान पड़े रहना भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। सारांश यह है कि सांभर अन्य उपखंडों की तुलना में इसलिए पिछड़ गया कि यहां पर रोजगार, तकनीकी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव व प्रमुख प्रशासनिक दफ्तर जिनमें पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग, अपर जिला कलेक्टर, एडिशनल एसपी के कार्यालयों का नहीं खुलना प्रमुख कमियों में भी गिनने लायक है।

परिवार की प्रेरणा से दीपक-प्रियंका ने बिना दहेज रचाई शादी

- निवाई में मिसाल बनी अनोखी शादी
- समारोह में दहेज रहित पहल की भरपूर सराहना की और युवाओं के लिए एक प्रेरक संदेश बताया

निवाई। दहेज रहित विवाह को बढ़ावा देने वाला एक अनुकरणीय उदाहरण निवाई में देखने को मिला, जहाँ प्लॉट बापू नगर, 80 फीट रोड निवासी दीपक यादव ने प्रियंका यादव के साथ सादगी और संस्कार से भरी, परंपरागत रीति-रिवाजों से सम्पन्न बिना दहेज की शादी रचाई। इस प्रेरक निर्णय के पीछे दूल्हे परिवार के सदस्यों दादा हनुमान प्रसाद यादव, दादी रामप्यारी देवी, पिता जगदीश यादव, माता ललिता यादव और चाचा फूलसिंह यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

जिन्होंने दीपक को दहेज नहीं लेने और सामाजिक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। परिवार की इस सोच का सम्मान करते हुए विवाह में दुल्हन पक्ष से केवल शकुन का एक रुपया और एक नारियल ही लिया। दुल्हन के पिता लक्ष्मीनारायण यादव व माता राजन्ती देवी निवासी कनक विहार कॉलोनी झिलाय रोड ने आभार जताते हुए कहा कि आज के समय मे यह बेहतरीन निर्णय से शादी निवाई में अत्यंत धूमधाम से आयोजित हुई, जहाँ शहर के जाने-माने नागरिक, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, रिश्तेदार और मित्र समारोह में शामिल हुए। समारोह में सभी ने इस दहेज रहित पहल की भरपूर सराहना की और युवाओं के लिए एक प्रेरक संदेश बताया। दूल्हा-दुल्हन दोनों वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में परिवारों ने दिखावे और दहेज की प्रथा को त्यागकर शिक्षा और सादगी को प्राथमिकता दी। निवाई में आयोजित यह विवाह अब समाज में एक मिसाल बन गया है कि संस्कार से बड़ा कोई दहेज नहीं होता।

रेडिया कार्यक्रम मन की बात में भरतपुर भाजपा अव्वल

भरतपुर (निस)। देष के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रेरणादायी रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 128वां एपिसोड नवम्बर माह के अन्तिम रविवार को पूरे देषभर में देखा व सुना गया। यह कार्यक्रम भरतपुर जिले की सभी विधानसभाओं के बूथों पर देखने और सुनने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय एवं प्रदेष नेतृत्व के निर्देष पर सरल एप्प पर अपलोड किया।

जिसमें भरतपुर जिले का पांचवा तथाभरतपुर जिले की बयाना और वैर विधानसभाओं ने राजस्थान में अव्वल स्थान प्राप्त किया। इसके एवज भारतीय जनता कार्यालय भरतपुर पर जिलाध्यक्ष षिवानी दायमा के नेतृत्व में खुषी का इजहार कर एक-दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष षिवानी दायमा ने बताया कि भरतपुर जिले में कुल मिलाकर 1775 बूथों में से 1700 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम सुना और देखा गया। तथा 1443 बूथों से सरल एप्प पर अपलोड किया गया।

भाजपा राष्ट्रीय सरल एप्प मॉनीटरिंग टीम के द्वारा जारी आंकडो के अनुसार बयाना विधानसभा में कुल 271 बूथों में सभी पर सुना और देखा गया। और सभी बूथों से सरल एप्प पर अपलोड किया गया। ठीक इसी प्रकार वैर विधानसभा के सभी 258 बूथों पर सुनकर सरल एप्प पर अपलोड किया गया। अतः इस प्रकार बयाना और वैर विधानसभाओं ने राजस्थान में भरतपुर जिले का नाम रोषन किया है। मन की बात कार्यक्रम के जिला संयोजक कुषलपाल सिंह राजावत उर्फ बिट्टू ने सभी बूथों के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद प्रेशित किया। इस अवसर पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष गिरधारी गुप्ता,जिला उपाध्यक्ष श्याम सुन्दर गौड, मीडिया संभाग प्रभारी दीपेन्द्र गनेषिया, जिला सह संयोजक योगा सहनावली, जिला प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी डॉ. वीरेन्द्र पचौरी, जिला आईटी सह संयोजक सुनील सहनावली, कार्यालय प्रभारी उत्तम शर्मा, मण्डल अध्यक्ष चन्द्रवीर जघीना, दिनेश लवानियां, मनीश पहलवान, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पंकज शर्मा, कपिल खोंकर, चन्द्रषेखर, चिरोंजा, यषपाल सिंह, अभय गुर्जर, कन्हैया जादौं आदि उपस्थित रहे।

कार ने मोटरसाइकिल के मारी टक्कर, एक की मौत

- सड़क दुघर्टना में गंभीर घायल की मौत

निवाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर गांव गुन्सी में स्थित एनबीसी फैक्ट्री के समीप मंगलवार देर शाम करीब साढे सात बजे एक कार ने मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी जिससे एक युवक की मृत्यु हो गई। सदर थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गुंसी ग्राम पंचायत के गांव अजीतपुरा निवासी विक्रम सिंह बैरवा पुत्र कैलाशचंद बैरवा उम्र 27 वर्ष अपने गांव से रोजाना निवाई मजदूरी करने आता था। मंगलवार की देर शाम वह मोटरसाइकिल से निवाई से अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान एनबीसी फैक्ट्री के पास एक कार ने उसकी बाइक के पीछे से टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर घायल हो गया। सदर पुलिस ने उसे तत्काल निवाई के उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

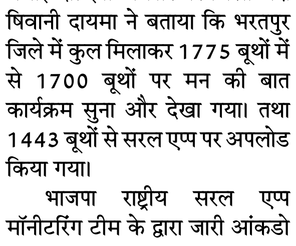

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 13/112 मानसरोवर जयपुर का मूल आवंटन पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। अशोक गुलवानी मो- 6375928270

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 34181 है दिनांक 26/11/2025 को त्रिवेणी नगर गोपालपुरा जयपुर में कही खो गया है मिलने पर सूचित करें- मनोज कुमार मंगल 8094847066

मेरा पर्स दिनांक 01.12.2025 को जयपुर जंक्शन पर खो गया। जिसमे कुछ जरूरी कागजात और HDFC कलेक्शन कार्ड जिसका नम्बर 240333695700078 है, जिस किसी को मिले सम्पर्क करें हरीश शर्मा 7737414197 (Vision Associates)

मैं मनभर मल्होत्रा निवासी ज्योति नगर, जामडोली की निवासी हूँ। मेरे घर के प्रॉपर्टी पेपर व कुछ जरुरी कागजात मेरे घर से गुम हो गए जो अभी तक नहीं मिलें। किसी भी व्यक्ति को मेरे प्रॉपर्टी पेपर मिलें तो तुरन्त सुचना करें मो. 8209286585 मनभर मल्होत्रा

आम-सूचना "उम्मेद सिंह पुत्र स्व0 श्री जसवन्त सिंह ने मेरी अभिभाष्या फर्म बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि0, जयपुर की योजना मनु एनवेलम-1, सबरामपुरा, मांचवा, जयपुर के भूखण्ड सं. 86 के मूल दस्तावेज गुम हो गये है जिस बाबत गुमशुदगी रपट सं. 150 दिनांकित 07.10.2009 को पुलिस थाना जालूपुरा में दर्ज करवाई है तथा उक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि व बन्ध पत्र, शपथ पत्र समिति कार्यालय में प्रस्तुत किये तथा डुप्लीकेट पट्टा जारी करने बाबत समिति से कहा गया। यदि उक्त भूखण्ड का डुप्लीकेट पट्टा, रसीद व साईड प्लान जारी करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था, समिति या संगठन को कोई आपत्ति हो तो वो समिति कार्यालय में या मेरे कार्यालय में उक्त सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में मय सबूत उज्र पेश करे अन्यथा समिति द्वारा उम्मेद सिंह के नाम डुप्लीकेट दस्तावेज जारी कर दिये जायेगे, बाद मियाद गुजरने के कोई उज्र मान्य नहीं होगा।
(हेमन्त कुमार पलोड़) एडवोकेट, मोबाईल नं. 9314511091

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर
सोफिया स्कूल के सामने घाटगेट, जयपुर, पिन कोड 302003
क्रमांक : F-52/DC/KPZ/2025/1485 दिनांक : 02.12.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **श्रीमती सुशीला पोद्दार पत्नि श्री स्व. श्री राज कुमार पोद्दार** ने **भूखण्ड संख्या ए-29 सीकर हाउस चांदपोल गेट के बाहर जयपुर** का योजना के तहत आवेदन पत्र के साथ स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति का स्वयं का **क्षेत्रफल 333.33 वर्गगज** का आवंटित योजना के तहत फ्री होल्ड पट्टा चाहा है। उक्त भूखण्ड के संबंध में किसी व्यक्ति सरकारी / गैर सरकारी संस्था, मालिकों या अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। बाद मियाद गुजरने के आवेदन का नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावेगा।
उपायुक्त
किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6()DCR-FIRST (J.S)/RO.LIC/N.N.J/2025/716 Date : 02-12-2025

PUBLIC NOTICE

The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3435428	On Row Outside of Jawahar Enclave Sector-2, Ward No.-93, Jawahar Nagar Jaipur
2	IN 3376185	On Row Opposite Plot No.-1/350, Malviya Nagar Sector -1, Malviya Nagar Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.

In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.
Deputy Commissioner (Revenue-I)
Municipal Corporation, Jaipur

इस्तेहार हर खास व आम
न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री मोहनलाल
सिविल विविध प्रकरण (विधिक संरक्षण) संख्या- बुटीराम पुत्र बजरंगलाल, आयु 74 वर्ष, निवासी सुलताना, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
-आवेदक
बनाम
1. सुभाष चन्द्र पुत्र गिरधारीलाल झाझड़िया, निवासी मोहनपुरा (मामरवासी), तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.) महामंत्री निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन सुलताना, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.)।
2. हर आम एवं खास।
-अनावेदकगण
वाद बाबत निरस्त किये जाने दान पत्र दिनांक 26.03.2003
सार्वजनिक सूचना
उक्त प्रार्थी/आवेदक ने न्यायालय में एक वाद पत्र बाबत निरस्त किये जाने दान पत्र दिनांक 26.03.2003 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सुलताना की भूमि खसरा नम्बर 854 रकबा 1.00 है0 में से दान की गई भूमि रकबा 0.33 है0 जिसके हाल खसरा नम्बर 1582/854 रकबा 0.33 है0 का दान पत्र दिनांक 26.03.2003 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें। अतः हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी / आवेदक बुंटीराम के पक्ष में दावा डिकी किये जाने में किसी को किसी प्रकार की भी कोई आपत्ति या ऐतराज हो तो वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक 10.12.25 तक उपस्थित होकर ऐतराज प्रस्तुत करे। अन्यथा प्रार्थी/वादी के हक में डिकी जारी कर दी जावेगी एवं एतराज समाहत नहीं किया जावेगा।
गया है। आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी किया
मोहर न्यायालय के आदेश से-सिविल न्यायाधीश
न्यायालय सिविल न्यायाधीश, चिड़ावा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम मल्लू सिंह कुशवाह व मल्लू कुशवाह से बदलकर मल्लू सिंह पुत्र भोज भगत रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जावेगा। निवासी-सरकारी स्कूल के पीछे, फार्म हाउस माचडा, हरमाडा, जयपुर

मैंने अपना नाम MOHAMMED SAQUIB से बदलकर MOHD SAQUIB पुत्र शाहिद अहमद निवासी प्लाट नं.43 , जगदीश कॉलोनी, रामगढ मोड, कागदीवाडा, आमेर रोड, जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे MOHD SAQUIB के नाम से जाना पहचाना जावे

मैंने अपना नाम मोनिका लालचन्द खानचन्दानी (Monica Lalchand Khanchandani) से बदलकर मोनिका खानचन्दानी (Monika Khanchandani) रख लिया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम मोनिका खानचन्दानी (Monika Khanchandani) पत्नी श्री लालचन्द खानचन्दानी के नाम से जाना-पहचाना जावे। निवासी-मकान नं.7, जोशी कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर (राज.)

मैंने अपना नाम कुमारी ललिता कुमारी (Kumari Lalita Kumari) से बदलकर ललिता देवी झिकनाडिया (Lalita Devi Jhikanaria) रख लिया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम ललिता देवी झिकनाडिया (Lalita Devi Jhikanaria) के नाम से जाना-पहचाना जावे। निवासी-3/60/3, विद्याधर नगर, जयपुर

मै आदित्य सैन पुत्र श्री अजय कुमार सैन, नि. 2682, सचिवालय नगर, सीतापुरा ,जयपुर, ने अपना नाम बदलकर सूर्या आदित्य सैन कर लिया है। यह परिवर्तन 30/10/2025 को प्रकाशित गजट के माध्यम से किया गया था, भविष्य में मुझे सूर्या आदित्य सैन के नाम से जाना और पहचाना जाए

I, Shahin Kawa W/o Dilshad Ali Kawa Solemnly declare that I have changed my name from Pathan Shahin Ilyaskhan to Shahin Kawa R/o S-1, Balai Basti, Nahari Ka Naka, Shastri Nagar, Jaipur Rajasthan 302016. For all future purposes.

I, Yash Gupta S/o Yogendra Kumar Gupta, R/o B-54, Niti Marg, Bajaj Nagar, Jaipur-302015, have changed my name from YASH to YASH GUPTA for all present and future purposes.

कार्यालय नगर पालिका मण्डल,फुलेरा जिला जयपुर
क्रमांक-न.पा.फु/2025-26/2261 दिनांक-03/12/25

आपत्ति सूचना

एतद् द्वारा हितबद्ध, व्यक्ति विशेष, आम खास को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्तियों ने निम्नांकित ईजाजत हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया है।

क्र.स.	प्रार्थी का नाम	स्थान	क्षेत्रफल वर्गगज	प्रयोजनार्थ
1.	श्री विपिन कुमार सोनी पुत्र श्री विष्णु कुमार सोनी	आवासीय भूखण्ड संख्या 21 वाके गठाला विहार, बड की कोठी के पास फुलेरा	200.00	नामान्तरण

किसी भी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार निम्नांकित ईजाजत बाबत आपत्ति हो तो आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर मयाद विधिमान्य दस्तावेजों सहित लिखित में आपत्ति कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षकर्त्ता को प्रस्तुत करावे। बाद मयाद गुजरने आपत्ति मान्य नही होगी।
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल, फुलेरा

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम) द्वीतीय अॉफिस द्वितीय तल, पुराना महिला छात्रावास, पुलिस मुख्यालय के पास, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर-302015
फोन नं. 0141-2744562, 2744776, फैक्स नं. 0141-2744562, ईमेल-jctsl.bus@gmail.com Website: transport.rajasthan.gov.in/jctsl
क्रमांक :- प्र.नि./जे.सी.टी.एस.एल./2025-26/डी - 2771 दिनांक :- 28/11/2025

NOTICE INVITING BID – 06/2025-26

जेसीटीएसएल के लेखों का संधारण करने के लिए संविदा पर दो वर्ष की अवधि के लिए Chartered Accountant लगाये जाने हेतु दिनांक 16.12.2025 सांय 06:00 बजे तक बिड आमन्त्रित की जाती हैं। इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा, नियम एवं शर्तो सम्बन्धी जानकारी दिनांक 01/12/2025 से वेबसाईट **https://transport.rajasthan.gov.in/content/transportportal/en/jaipur-bus.html & http://sppp.raj.nic.in** से डाउनलोड की जा सकती है।
UBN NO-JCT2526SSOB00008
राज.संवाद/सी/25/15064
मुख्य वित्तीय अधिकारी
जेसीटीएसएल, जयपुर

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगरपालिका मण्डल, देवली (टोंक) राज.
क्रमांक-न.पा.दे.कृषि भूमि/2025-26/ **लोक सूचना** दिनांक :-

श्री नरेश पुत्र श्री मांगीलाल निवासी गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश, श्रीमती सुशीला पुत्री श्री मांगीलाल निवासी विजयनगर, अलवर (राज.), श्री रामकुंवार पुत्र श्री मांगीलाल निवासी सारंगपुर, जयपुर एवं श्रीमती सीमा पुत्री श्री मांगीलाल निवासी उदयपुर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	रकबा/क्षेत्र	मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोग	भू-उपयोग का प्रकार
तह.जहाजपुर जिला शाहपुरा	ऊंचा	1104 1105	1.1574 है. 0.7284 है. कुल 1.8858 है.	मास्टर प्लान में आवासीय	आवासीय से आवासीय

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ....12.2025 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका देवली

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या सुरभि जैन पत्नी श्री राकेश जैन निवासी 501 ए, पाटली पुत्र चार बंगला, कोकिला बेन अस्पताल के पास, अंधेरी पश्चिम मुंबई हाल निवासी फ्लेट नं.10, एफ-1, सनशाईन सिटी निवारू रोड, जयपुर राजस्थान द्वारा मेरी अभिभाष्या की सगी बहन कामिनी व जीजा मनोज कुमार अग्रवाल की मृत्यु के पश्चात् उनकी नाबालिग पुत्री खुशी अग्रवाल के हितार्थ एवं लाभार्थ हेतु उनके शरीर, चल व अचल संपति की विधिक संरक्षिता प्राप्त करने हेतु पारिवारिक न्यायालय क्रम 4, जयपुर महानगर जयपुर प्रथम के यहा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 के तहत् प्रस्तुत किया गया है उक्त न्यायालय ने आदेश दिनांक 04.04.2024 द्वारा मेरी अभिभाष्या को खुशी अग्रवाल की विधिक संरक्षिता नियुक्त किया है। मेरी अभिभाष्या को उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2024 को जारी आदेश के अनुसार नाबालिग खुशी अग्रवाल की चल व अचल संपति का बिना न्यायालय की अनुमति के किसी भी प्रकार से बेचान हस्तांतरण, अन्तरण, रूपान्तरण आदि करने की अधिकारीणी नही दी है। मेरी अभिभाष्या की सगी बहन व जीजा द्वारा अपने जीवन काल के दोरान संपति की खरीद के लिए HDFC BANK LTD से लिये गये ऋण की संपूर्ण अदायगी हो चुकी है। मेरी अभिभाष्या ने HDFC BANK LTD से खुशी अग्रवाल के माता-पिता के द्वारा HDFC BANK LTD (Lan 616661515) ऋण प्राप्त कर खरीद की गई सम्पत्ति Flat no. F-1, Frist Floor, Abhyudaya, Plot No.10 Sun Rise City, Niwaru Road Jaipur के असल स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजात प्राप्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यदि उक्त दस्तावेजात प्राप्त करने मे तथा उक्त न्यायालय के आदेश से किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था आदि को किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज हो तो 7 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित मे आपत्ति (मय दस्तावेज) प्रस्तुत कर, सम्पर्क करे, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।
(रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट मो.नं. 9829256466

संख्यांक 2
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश-5 के लिए नियम-1 और 5)
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-6 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
राधाकिशन बनाम मोहनलाल कूलवाल
वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 88 45/2024 सन् 2025
श्री सत्यनारायण कूलवाल पुत्र स्व श्री जगन्नाथ जाती महाजन निवासी ई । सुभाष नगर शॉपिंग सेंटर जयपुर, श्री राजेंद्र कूलवाल पुत्र स्व श्री जगन्नाथ तथाकथित दत्तक पुत्र श्री देवीसहाय जाती महाजन निवासी - मं नं 94 विजयवाड़ी ढेर के बालाजी चोमू रोड जयपुर, श्रीमती प्रेम देवी पुत्री स्व श्री जगन्नाथ धर्मपत्नी श्री कैलाशजी खंडेलवाल निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर, श्रीमती मनभर देवी पुत्री स्व श्री देवीसहाय धर्मपत्नी श्री सीताराम रावत जाती महाजन निवासी प्लाट नं 5/6 कृष्णा कॉलोनी नया खेड़ा जयपुर, श्री सीताराम कूलवाल दत्तक पुत्र श्री बद्रीनारायण कूलवाल (घाटपीलेवाले) निवासी मं नं 2290, रामलल्लाजी का रास्ता चौकड़ी विश्वेश्वरजी जोहरी बाजार जयपुर, श्री रामनारायण पुत्र स्व श्री मदनलालए जाती महाजन निवासी -मं नं 1472-73, ठुनियाररवजी का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर। के आपके विरुद्ध वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक (30) 221225 माह 10 सन् 2025 के दिन मे 11.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसकेक साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा को लिखित कथन दाखिल करे और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिवाद आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शिवत मे हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजी को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वादी की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 27 माह 11 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया।
मोहर अदालत
वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-06, जयपुर महानगर द्वितीय

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-6 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
राधाकिशन बनाम मोहनलाल कूलवाल
प्रार्थना-पत्र संख्या CMC 63/2024 सन 2025
श्री सत्यनारायण कूलवाल पुत्र स्व श्री जगन्नाथ जाती महाजन निवासी ई । सुभाष नगर शॉपिंग सेंटर जयपुर, श्री राजेंद्र कूलवाल पुत्र स्व श्री जगन्नाथ तथाकथित दत्तक पुत्र श्री देवीसहाय जाती महाजन निवासी - मं नं 94 विजयवाड़ी ढेर के बालाजी चोमू रोड जयपुर, श्रीमती प्रेम देवी पुत्री स्व श्री जगन्नाथ धर्मपत्नी श्री कैलाशजी खंडेलवाल निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर, श्रीमती मनभर देवी पुत्री स्व श्री देवीसहाय धर्मपत्नी श्री सीताराम रावत जाती महाजन निवासी प्लाट नं 5/6 कृष्णा कॉलोनी नया खेड़ा जयपुर, श्री सीताराम कूलवाल दत्तक पुत्र श्री बद्रीनारायण कूलवाल (घाटपीलेवाले) निवासी मं नं 2290, रामलल्लाजी का रास्ता चौकड़ी विश्वेश्वरजी जोहरी बाजार जयपुर, श्री रामनारायण पुत्र स्व श्री मदनलाल, जाती महाजन निवासी -मं नं 1472-73, ठुनियाररवजी का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर।
उक्त 22/12/25 ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 30 माह 10 सन् 2025 को दिन में 11.00 पूर्वाह्न में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह कि आज दिनांक 27 माह 11 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-06, जयपुर महानगर द्वितीय

नाम परिवर्तन

मै मनेश यादव पुत्र श्री धर्मसिंह यादव जाति अहीर उम्र करीब 32 साल अहीरवाटी मोहल्ला किशनगढ बास तहसील किशनगढ बास जिला खैरथल तिजारा राजस्थान का हूं। मै शपथ बयान करता हूं कि मेरी पुत्री गीतिका की जन्मतिथि 27 09 2012 है जो जन्म प्रमाण पत्र मे दर्ज है। गीतिका की माता का नाम रीना है। मेरी पुत्री गीतिका के शैक्षिणिक रिकार्ड में गलती से भूलवश जन्मतिथि 27 10 2012 दर्ज हो गई है। मै अपनी पुत्री गीतिका के शैक्षिणिक रिकार्ड में उसकी सही वे शुद्ध जन्म तिथि 27 9 2012 दर्ज करवाना चाहता हूं। जो दर्ज कर शैक्षिक रिकार्ड को सही किया जाए। भविष्य मे किसी प्रकार का वाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी मेरी स्वयं की होगी।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/957 चूंकि प्रार्थी श्री KRISHNA KUMAR SHAH, B-9, METAL COLONY, AMBABARI, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास शारदा विद्या मंदिर प्रबंध समिति अंबाबाडी जयपुर B-11, METAL COLONY, PURANI CHUNGI NAKA, AMBABARI, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 02.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 09/02/2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
एसएफएस मानसरोवर शाखा, एसपी-1, साउथएण्ड स्क्वायर मॉल रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान-302020
ई-मेल: sfsman@bankofbaroda.com

मोचन (REDEMPTION) सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के अंतर्गत सूचना
दिनांक: 29.11.2025

मैसर्स हरप्यारी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (ऋणी एवं कंपनी)
प्लॉट नं. 183, आयकर नगर-II, कल्याणपुरा, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान 302020
श्री पवन कुमार चांडक पुत्र श्री मोती लाल चांडक (निदेशक एवं जमानतदार)
फ्लैट नं. बी-2206, स्कॉय टॅरेस, बी टी रोड, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर
श्री पवन कुमार चांडक पुत्र श्री मोती लाल चांडक
गाँव तालिया मतोड़ा, मटर मतोड़ा, जोधपुर 342311
श्रीमती राधिका चांडक पत्नी श्री पवन कुमार चांडक (निदेशक एवं जमानतदार)
फ्लैट नं. बी-2206, स्कॉय टॅरेस, बी टी रोड, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर
श्रीमती राधिका चांडक पत्नी श्री पवन कुमार चांडक
गाँव तालिया मतोड़ा, मटर मतोड़ा, जोधपुर 342311

विषय: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के अंतर्गत सूचना।

संदर्भ: 1. सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी दिनांकित 05.05.2025 मांग नोटिस।
2. सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत जारी दिनांकित 14.07.2025 कब्जा नोटिस।
3. 30 दिन का मोचन (Redemption) नोटिस दिनांक 17.07.2025

प्रिय महोदय/महोदया,
जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा एसएफएस मानसरोवर शाखा, एसपी-1, साउथएण्ड स्क्वायर मॉल, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान-302020 के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूत लेनदार बैंक होने के नाते सरफेसी अधिनियम 2002 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ प्रदत्त शक्तियों के तहत दिनांक 05.05.2025 को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें आपको ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार होने के नाते उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग नोटिस में बताई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया।
और चूंकि आप राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 4 और/या नियम 8 के साथ पठित, प्रतिभूत संपत्तियों (जिन्हे आगे उक्त संपत्तियों के रूप में संदर्भित किया गया) का कब्जा ले लिया है, जिसका विशेष रूप से नीचे अनुसूची में वर्णन किया गया है।
प्रतिभूत संपत्ति पर कब्जा लेने के बाद भी, आपने उपरोक्त कब्जा नोटिस में उल्लेखित बैंक को देय राशि का भुगतान नहीं किया है आपका ध्यान प्रतिभूत संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर, कब्जे के नोटिस में उल्लेखित देय राशि, लागू ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय सहित, जमा करें और नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रतिभूत संपत्तियों को मुक्त करें। यदि आप इस सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त देय राशि का भुगतान करने और प्रतिभूत संपत्तियों को मुक्त करने में विफल रहते हैं, तो बैंक ई-नीलामी बिक्री सूचना प्रकाशित करके सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से प्रतिभूत संपत्तियों को बेचने के लिए बाध्य होगा। ई-नीलामी की तिथि, समय और संपत्तियों का आरक्षित मूल्य आपको अलग से सूचित किया जाएगा।

प्रतिभूत संपत्ति/आस्तियों की अनुसूची

क्र. सं	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जा दिनांक	कब्जे का प्रकार (सांकेतिक/ भौतिक)	कब्जा नोटिस के प्रकाशन की तिथि (केवल अचल संपत्ति के लिए)
1	श्री पवन कुमार चांडक पुत्र श्री मोती लाल चांडक के नाम साम्यिक बंधक अचल सम्पत्ति जो आवासीय प्लॉट नं. 60, स्कीम नं. 9, भृगु नगर स्कीम, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 269.34 वर्ग गज है। सीमाएं- पूर्व: रोड 30 फीट चौड़ी, पश्चिम: प्लॉट नं. 73, उत्तर: रोड 30 फीट चौड़ी, दक्षिण: प्लॉट नं. 61-ए	14.07.2025	भौतिक	17.07.2025

भवदीय
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा
एसएफएस मानसरोवर शाखा, जयपुर

कार्यालय नगरपालिका किशनगढ़बास (खैरथल- तिजारा) राज.

Mail Id-npkishangarhbas@gmail.com, PH.-01460-242233
क्रमांकः न.पा.कि.बास / 2025/3551 दिनांकः 01/12/2025

आपत्ति सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के अन्तर्गत 90-अ के एक्ट के तहत ऑनलाईन पट्टा बनवाने हेतु निम्न प्रकार ऑनलाईन पत्रावली इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति संस्था या किसी को भी कोई भी आपत्ति हो तो 07 दिवस में इस कार्यालय में अपनी आपत्ति मय सबूत इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। मयाद निकलने के बाद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति/पत्नी का नाम	पता	खसरा नं.
1	अश्वनी आहूजा	आनन्द आहूजा	वार्ड नं. 15 महादेव कॉलोनी कि.बास	225
2	अजीत राव	जगदीश	वार्ड नं. 24 बिजलीघर के सामने कि.बास	129
3	अजीत राव	जगदीश	वार्ड नं. 24 बिजलीघर के सामने कि. बास	129
4	संजय सचदेवा	गोर्वधन लाल	वार्ड नं. 12 जैन मंदिर के पीछे कि.बास	521
5	रामपाल शर्मा	राधेश्याम शर्मा	वार्ड नं. 06 विकास कॉलोनी कि. बास	299
6	कुन्दनलाल	सुन्दर लाल	वार्ड नं. 19 शास्त्री कॉलोनी कि.बास	247
7	दिनेश कुमार	घनश्यामदास	वार्ड नं. 17 कृष्णा कॉलोनी गंज कि.बास	67
8	राजकुमार	धनीराम	वार्ड नं. 23 गरीबनाथ मंदिर के पास	507/974
9	परमानन्द लख्याणी	कल्लूमल	खैरथल रोड़ कि.बास	244
10	उदयवीर, सुगन सिंह, मानसिंह विपिन सिंह, विक्रम सिंह	सुगन सिंह. विजय सिंह	वार्ड नं. 22 दयालपुर कि. बास	192

उपरोक्त व्यक्ति को 90-अ एक्ट पट्टा के लिए कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 07 दिवस में इस कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उपयुक्त व्यक्ति का पट्टा जारी कर दिया जावेगा।
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका किशनगढ-बास

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, टोंक (राज.)

क्रमांक :-प.4(1)कृउमस-टोंक/आवंटन/रिक्त दुकान-भूखण्ड/अन्य/00037/ दिनांक :-26.11.2025

आवंटन – विज्ञप्ति

कृषि उपज मण्डी समिति टोंक के मुख्य मंडी प्रांगण टोंक व फल-सब्जी ब्लॉक,मुख्य मण्डी प्रांगण,टोंक एवं गौण मण्डी प्रांगण सोहेला/झिराना में चिन्हित व रिक्त सामान्य भूखण्ड, फुटकर दुकान/भूखण्ड व आंवटित दुकानों के पीछे चिन्हित गोदाम भूखण्ड एंव निर्मित ग्रामीण गोदाम हेतु भूखण्डों का अचल सम्पत्ति आवंटन नीति 2005 व संशोधित प्रभावी प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन समिति की बैठक दिनांक को सम्बंधित मण्डी प्रांगण की प्रभावी डी.एल.सी.दर की 50 प्रतिशत दर के समतुल्य निर्धारित आरक्षित दर पर द्वितीय/पश्चातवर्ती चरण में 99 वर्षीय लीज पद्धति पर आवंटन किये जाने हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इस हेतु आवेदन पत्र शुल्क 500/-रू किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में मण्डी कोष में जमा करवाकर इस कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपेक्षित पूर्तियों के पश्चात् आवेदन पत्र मय अपेक्षित दस्तावेज व धरोहर राशि (सामान्य भूखण्ड,गोदाम भूखण्ड व निर्मित ग्रामीण गोदाम हेतु 20,000/रू, व फुटकर भूखण्ड हेतु 10,000/रू का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,टोंक के नाम देय हो सहित दिनांक 26.12.2025 को सायः 5:00 बजे तक मण्डी समिति कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। विवरण निम्नानुसार है :-

1. **सामान्य भूखण्ड** – अधिसूचित कृषि जिन्सों के व्यवसाय हेतु कृषि उपज मण्डी समिति,टोंक या राज्य की अन्य मण्डियों के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग,मण्डी अनुज्ञप्तिधारी तेल मिल व अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण ईकाई,मण्डी क्षेत्र के कृषकों/अजा कृषकों/अजजा कृषकों,जैविक खेती उत्पादक कृषकों,कृषक उत्पादन संगठन/कम्पनी एवं इन सभी वर्गो के दिव्यांग तथा कृषक वर्ग में विधवा महिला कृषकों के लिये रिक्तियों का विवरण :-

मण्डी प्रांगण का नाम	भूखण्डों की श्रेणी व संख्या एवं साईज		अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों हेतु भूखण्डों की संख्या – अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी – सामान्य अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग		अजा/अजजा अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी – अजा वर्ग		अजजा वर्ग		अनुज्ञा. तेल मिल व अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण ईकाई		FPO /FPC	जैविक खेती उत्पादक कृषक	कृषकों हेतु आरक्षित भूखण्डों की संख्या – सामान्य कृषक			अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषक – अजा कृषक			अजजा कृषक		
	श्रेणी	साईज व संख्या	सामान्य	दिव्यांग	सामान्य	दिव्यांग	सामान्य	दिव्यांग	सामान्य	दिव्यांग			सामान्य	दिव्यांग	विधवा	सामान्य	दिव्यांग	विधवा	सामान्य	दिव्यांग	विधवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
मुख्य मण्डी टोंक	सा. भूखण्ड	18'6''x76'6'के 09 20''x37'6' का 01 कुल – 10 भूखण्ड	4	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
F&V ब्लॉक टोंक	सा. भूखण्ड	20'0''x 10'0'' के कुल – 07 भूखण्ड	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
गौण मण्डी सोहेला	सा. भूखण्ड	25'x65' के 03 30'x65' के 04 18'x60' के 04 20'x60' के 04 20'x50'के 11 20'x55' के 03 कुल– 29 भूखण्ड	19	0	4	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
गौ.मण्डी झिराना	सा. भूखण्ड	16'4''x60' के 16 कुल – 16 भूखण्ड	7	0	2	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0

(i). कॉलम संख्या 04 में वर्णित भूखण्डों का द्वितीय/पश्चात्वर्ती चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर व प्रकिया अनुसार मण्डी समिति के ऐसे अनुज्ञापत्रधारियों को जो 31.03.2019 से पूर्व के अनुज्ञापत्रधारी है तथा वर्तमान तक निरन्तर कार्यरत हो को सर्वप्रथम आंवटन किया जावेगा। (ii). उक्तानुसार प्रथम वरीयता के अनुज्ञापत्रधारी आंवटन से शेष नही रहने पर द्वितीय वरीयता पर ऐसे अनुज्ञप्ति धारी आवेदको को आवंटित किये जायेगें जो विज्ञप्ति जारी होने के ठीक पूर्व के तीन पूर्ण वित्तीय वर्षो से व्यवसायरत हो को द्वितीय चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर की डेढ गुणा राशि व प्रकिया अनुसार आवंटन किया जायेगा। (iii). बिन्दू संख्या (i) व (ii) के समस्त अनुज्ञापत्रधारी आवेंदकों को आंवटन पश्चात् भूखण्ड रिक्त रहने की दशा में शेष समस्त अनुज्ञापत्रधारी आवेदक जो विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के अनुज्ञापत्रधारी है को द्वितीय चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर के दो गुणा राशि व प्रकिया अनुसार आवंटन किया जावेगा। (iv). कृषक वर्ग हेतु मण्डी समिति टोंक के मण्डी क्षेत्र का मूल निवासी होना व विज्ञप्ति जारी होने के कम से कम दो वित्तीय वर्ष पूर्व से न्यूनतम एक बीघा भूमि मण्डी क्षैत्र में स्वंय के हिस्सें में एकल/संयुक्त स्वामित्व में होना आवश्यक है। (v). दिव्यांग व अजा/अजजा, विधवा एंव जैविक खेती उत्पादक कृषक वर्ग तथा एफ.पी.ओ/एफ.पी.सी हेतु सक्षम स्तर से जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र/पंजीकरण आवश्यक है। (vi). सामान्य कृषक वर्ग व अजा/अजजा कृषक वर्ग को आंवटन द्वितीय चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर में कमशः 10 प्रतिशत व 25 प्रतिशत छूट के आधार पर होगा। (vii). अनुज्ञापत्रधारी, दिव्यांग, अजजा/अजा वर्ग को सम्बंधित वर्ग हेतु द्वितीय चरण के लिये निर्धारित दर व प्रकिया अनुसार होगा। इसमें आवंटन दर में 25 प्रतिशत छूट देय होगी। (viii). अनुज्ञापत्रधारियों हेतु आवंटन हेतु उपलब्ध दुकान/भूखण्डों में से 10 प्रतिशत भूखण्ड अन्य मण्डी के अनुज्ञापत्रधारियों को आवंटन किये जा सकेगे।

2. **फुटकर दुकान/भूखण्ड** – द्वितीय चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर पर आवंटन हेतु खाद-बीज दवाईयों, बारदाना, पशुआहार, कृषि साहित्य,कृषि यन्त्र एंव अन्य सम्बंधित व्यवसायी से जुडी विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं के व्यवसाय व जैविक उत्पाद विकय हेतु सामान्य व्यक्ति,फर्मो,अजा/अजजा वर्ग के लिये एवं एग्री क्लीनिक हेतु कृषि स्नातकों के लिये रिक्तियों का विवरण :-

मण्डी प्रांगण का नाम	निर्मित दुकान/भूखण्ड – श्रेणी	साईज	संख्या	सामान्य वर्ग – सामान्य	दिव्यांग	एस.सी. वर्ग – सामान्य	दिव्यांग	एस.टी.वर्ग – सामान्य	दिव्यांग	जैविक उत्पाद विकय हेतु	एग्री क्लिनिक हेतु कृषि स्नातकों के लिये
सोहेला	फुटकर	12'x27'6''	03	-	-	1	-	1	-	-	01
झिराना	फुटकर	10'x15' 10'x22'6''	10 10	11	-	03	-	03	-	01	02

3. **गोदाम भूखण्ड/निर्मित ग्रामीण गोदाम/वेयर हाउस** – अधिसूचित कृषि जिन्सों के भण्डारण हेतु रिक्तियों का विवरण :-

नाम मण्डी प्रांगण	चिन्हित/रिक्त भूखण्डों का विवरण – श्रेणी	साईज	संख्या	विशेष विवरण
मुख्य मण्डी टोंक	गोदाम भूखण्ड	17'6''x20'00''	25	मुख्य मण्डी टोंक के ''बी'' ब्लॉक में आंवटित दुकानो (B1से B22 o B36 से B47 व गैलेरी I st) के पीछे चिन्हित गोदाम भूखण्डों का आंवटन उसी आंवटी को किया जाना है, जिस आंवटी की 99 वर्षीय लीज पर आंवटित दुकान के पीछे गोदाम भूखण्ड चिन्हित है। परन्तु सम्बंधित आंवटी द्वारा आवेदन नही किये जाने पर अन्य अनुज्ञापत्रधारी को किया जावेगा। इस हेतु द्वितीय चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर पर आंवटन होगा।
		20'00''x20'00''	10	
		कुल –	35	
	ग्रामीण गोदाम	138'00''x26'06''	01	मण्डी समिति के अनुज्ञाधारी व्यापारी आंवटन हेतु पात्र होगें एंव द्वितीय व पश्चातवर्ती चरण अन्तर्गत आरक्षित दर व वर्तमान निर्माण लागत पर आंवटन लॉटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा।

उक्त के सन्दर्भ में सम्बंधित मण्डी प्रांगण का ले-आउट प्लान एंव विस्तृत नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में इस कार्यालय या विभागीय वेबसाईट http://agriculture.rajasthan.gov.in/mandi पर देखी जा सकती है।
NIB CODE : DAM2526A0602
राज.संवाद/सी/25/15114
प्रशासक सचिव